न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
18/प्रा0प0/2020	24.06.2020	हरविन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

श्रीमति मनफूला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी कन्हैयालाल कुशवाह जाति कुशवाह (काछी) निवासी गुढ़ानाथावतान् तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीया

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र—इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 136 राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956

निर्णय

दिनांक—21.11.2024

उपस्थित— प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट नगेन्द्र सिंह हाड़ा।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खतौनी संख्या नई 78 पुरानी 77 की कृषि भूमि खसरा संख्या 285 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 287 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 289 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 2225/286 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीलोर पटवार हल्का सीलोर तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम सीलोर में ही खतौनी संख्या नई 193 पुरानी 190 की भूमि खसरा संख्या 284 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 290 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 1264 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा स्थित है जिसमें प्रार्थीया, उसके भाई एवं बहनों का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती करती चली आ रही हैं और हर साला साल फसल बोती, जोती एवं काटती चली आ रही हैं राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के भाई छीतर, उसकी बहन कॅवरबाई, शीला बाई, कंवर बाई पुत्रीया मांगीलाल एवं घीसी बाई बेवा मांगीलाल का नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया के पिता मांगीलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत राजस्व रिकार्ड में फौत नामान्तरण तस्दीक करने पर प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में नाम पुष्पाबाई अंकित कर दिया जबकि प्रार्थीया का सही नाम मनफूला बाई हैं। प्रार्थीया के समस्त सरकारी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह ई—कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, बैंक खाते में नाम मनफूला बाई अंकित हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मनफूला बाई के स्थान पर पुष्पाबाई अंकित कर दिए जाने से प्रार्थीया [illegible] कब्जे, काश्त की कृषि भूमि का सही एवं कानूनी रूप से उपयोग उपभोग [illegible] पा रही हैं उसे कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सरकारी [illegible] नहीं मिल पा रहा हैं जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति हो रही है इसलिये राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थीया का नाम पुष्पाबाई के स्थान पर मनफूला बाई [illegible] प्रार्थनीय हैं। प्रार्थीया द्वारा [illegible] इत्यादि अंकित कर आराजी खतौनी संख्या [illegible] पुरानी 77 एवं खतौनी संख्या नई 193 पुरानी 190 की भूमि वाके ग्राम सीलोर पटवार हल्का सीलोर तहसील [illegible] बून्दी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम पुष्पाबाई के स्थान पर मनफूलाबाई अंकित किये जाने के आदेश दिये जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीया के पक्ष में सुलभ हो प्रार्थीया को दिलवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2023/8245 दिनांक 12.10.2023 से अवगत कराया हैं कि प्रार्थीया का नाम ग्राम सीलोर के राजस्व रेकार्ड खाता संख्या 78 में पुष्पाबाइ पुत्री मांगीलाल जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/108 हैं। प्रार्थीया का का नाम ग्राम सीलोर के खाता संख्या 193 में पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल जाति काछी हिस्सा 1/36 सा0 देह खातेदार हैं। उक्त रेकार्ड में प्रार्थीया का नामान्तकरण संख्या 1518 दिनांक 06.02.2006 पिता मांगीलाल के फोत हो जाने पर आया हैं। नामान्तकरण में अंकित सजरे में प्रार्थीया का नाम पुष्पाबाई ही हैं। उपरोक्त प्रकरण में सहखातेदारों एवं ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रार्थीया का वास्तविक नाम मनफूला बाई ही बताया हैं। मनफूला बाई का घर का नाम पुष्पाबाई बताया हैं। पुष्पाबाई व मनफूला बाई एक ही व्यक्ति बताया हैं। तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रार्थीया का नाम पुष्पाबाई के स्थान पर मनफूलाबाई करने की अनुशंषा की हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र विषयक भूमि के राजस्व रेकार्ड में पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल दर्ज हो गया हैं। पुष्पाबाई प्रार्थीया के घर का नाम हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया को अपने पिता मांगीलाल से विरासतन् प्राप्त हुई हैं और गांव वालो के कहे अनुसार राजस्व कर्मियों ने प्रार्थीया का राजस्व रेकार्ड में घर का नाम पुष्पाबाई दर्ज कर दिया हैं, जबकि प्रार्थीया का सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में नाम मनफूला बाई ही अंकित हैं। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का सही नाम अंकित न होने से प्रार्थीया को काश्तकारी कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं और प्रार्थीया को राजकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में पुष्पाबाई के स्थान पर मनफूला बाई अंकित किये जाने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम सीलोर के जमाबंदी सम्वत् 2072–75 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 193 पुराना 190 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0532 है0 व खाता संख्या 78 पुराना 77 कुल किता 4 कुल रकबा 2.5377 है0 में प्रार्थीया का नाम पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल दर्ज हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल एवं मनफूला बाई पुत्री मांगीलाल प्रार्थीया के ही नाम हैं और दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में पुष्पाबाई के स्थान पर पुष्पाबाई उर्फ मनफूला बाई किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम सीलोर के जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 193 पुराना की आराजी खसरा संख्या 1264, 284, 290 कुल किता 3 [illegible] रकबा 2.0532 है0 व खाता संख्या 78 पुराना 77 की आराजी खसरा संख्या 22[illegible], 285, 287, 289 कुल किता 04 कुल रकबा 2.5377 है0 के राजस्व रेकार्ड में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी "पुष्पाबाई पुत्री मांगीलाल" के स्थान पर "पुष्पाबाई [illegible] मनफूला बाई पुत्री मांगीलाल" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। [illegible] तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी